

# कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग

## जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

क्र./ ३०८५ / माहावि / स्था / 2023–24

बिलासपुर दिनांक ५ / १० / 2023

// विज्ञापन //

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (**District Hub For Empowerment of Women**)  
के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्बेला योजना “मिशन शक्ति” की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (DHEW) (**District Hub For Empowerment of Women**) स्थापित किया जाना है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय हब हेतु बिलासपुर जिले के लिए ०८ संविदा पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत पद की संविदा/एकमुश्त वेतन के ०८ पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

उपरोक्त स्वीकृत पदों में आरक्षण छ.ग. शासन के राजपत्र असाधारण दिनांक 21.10.2021 में दिये गये प्रावधान (अधीसूचना) के तहत किया गया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 07/11/2023 है। पद का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	पदनाम	पद का विवरण			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित <sup>१</sup> एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
		UR	SC	योग		
1	जिला मिशन समन्वयक	01	0	01	10	31450/-
2	जेन्डर विशेषज्ञ	01	01	02	8	25780/-
3	वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ	01	01	02	7	20900/-
4	कार्यालय सहायक	01	0	01	6	18420/-
5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMVY	01	0	01	4	14200/-
6	मल्टी टास्क स्टाफ	01	0	01	2	11720/-
योग :-		06	02	08	-	-

1. चयन हेतु अर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तें :—

जिला स्तरीय (**DHEW**) हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :—

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	जिला मिशन समन्वयक	समाजशास्त्र/जीवन विज्ञान/पोषण/स्वास्थ्य प्रबंधन/समाज कार्य/ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री (बी.ए समाजशास्त्र/सामाजिक	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता	• संबंधित क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशा सकीय/गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। • अंग्रेजी भाषा

		कार्य, बी.एस.डब्ल्यू बी. एस.सी, विलनिकल एंव न्युट्रिशियन, बी.एस.सी फूड एंड न्यूट्रिशियन बी. एस न्युट्रिशियन एंड डाईटेटिक्स, बी.ए पब्लिक हेल्थ, बी.बी.ए. रुरल मैनेजमेंट, एम.बी. बी.एस, बी.ए.एम.एस, बी. एच.एम.एस आदि)		कम 03 वर्षों का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
2	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एम.एस ऑफिस एंव कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• जेन्डर से संबंधित कार्य का शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
3	वित्तीय साक्षरता एंव समन्वय विशेषज्ञ	अर्थशास्त्र/बैंकिंग/अन्य सामान कार्य में स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एम.एस ऑफिस एंव कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• वित्तीय साक्षरता/ वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यों का शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
4	कार्यालय सहायक	लेखा/अन्य क्षेत्र में स्नातक/डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एम.एस ऑफिस एंव कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• लेखा से संबंधित कार्यों का शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
5	डाट एन्ट्री ऑपरेटर PMMV	स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर कार्य/आई.टी. अन्य क्षेत्रों का ज्ञान।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एम.एस ऑफिस एंव	• डाटा प्रबंधन/ प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एंव वेबबेस्ड रिपोर्टिंग फार्मेट में	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का

	Y	कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	कार्य करने का शासकीय / अद्वृशा सकीय / गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	अनुभव
6	मल्टी टास्क स्टॉफ	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास।	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>किसी भी शासकीय / अद्वृशा सकीय / गैर सरकारी संगठन संस्थाओं या निजी क्षेत्र में कम से कम 02 वर्षों का भूत्य / साफ-सफाई आदि के कार्य का अनुभव</li> </ul>

शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

## 2. आयु सीमा :-

- जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  - शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  - आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं, की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 2.1 जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण के अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।

- शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- 2.2 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य करना होगा।
- 2.3 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 2.4 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण—पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
- 2.5 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणितकर्ता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- 2.6 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 2.7 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 2.8 शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण—पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 2.9 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- 2.10 प्रत्येक पद के लिए पृथक—पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई—मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 2.11 आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 2.12 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक—इन/इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी

जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमति के उपरान्त ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।

- 2.13 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे।
- 2.14 कौशल परीक्षा/वाँक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 2.15 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

### 3. नियुक्ति प्रक्रिया

भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जाएगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे :—

- 3.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
  - 3.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।
  - 3.3 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।
  - 3.4 उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
  - 3.5 वाँक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे।
  - 3.6 अभ्यर्थियों के चयन मैरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरान्त समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

### 4. नियुक्ति की अवधि :—

- 4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।



- 4.2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरान्त इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

आवेदन पत्र दिनांक 07/11/2023 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग के पीछे स्थित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन केवल पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को ही स्वीकार किये जावेंगे।

जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित।

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)